अनुसूची14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
17/5/12	न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल । वाद सं0- 1061/2011 / 313/2012 , धारा-145 द0 प्र0 सं0 सुरेश सिंह बनाम कांग्रेस सिंह वगैरह आ दे श यह कार्यवाही धारा- 144 द0 प्र0 सं0 .से परिवर्तित है । प्रथम पक्ष का कहना है कि खाता नं0- 32 / 03 06, एवं 39 में विभिन्न प्लॉट की भूमि कुल रकबा- 0·67 डी0 जो अवस्थित मौजा- भुसड़ा, थाना वो जिला- अरवल में है, प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि है एवं इसमें क्रमश: तीन परिकैन हैं :- (1) सुरेश सिंह, (आवेदक), (2) कांग्रेस सिंह एवं (3) नरेश सिंह (दोनों विपक्षीगण) । प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि विपक्षीगण उक्त प्रश्नगत भूमि को बाजबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं तथा आवेदक का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं एव जब दिनाक- 15/ 11/ 2011 को समय करीब 8·00 बजे प्रथम पक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से विपक्षी	सं0 219 दिनांक 27/5/12 निर्गत किया गया ।

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3

-गण से कहा कि हमलोगों की जो खतियानी भूमि है उसको तीनों भाईयों में बांट लिया जाना चाहिए तो इतना सुनते हीं विपक्षीगण आवेदक के साथ गाली-गलौज करते हुए मार-पीट पर उतारू हो गये । द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल 145 (5) दं0 प्र0 सं0 के आवेदन के प्रतिउत्तर में प्रथम पक्ष का कथन है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच $\frac{1}{3}$ के अनुसार बँटवारा कभी नहीं हुआ है , विपक्षीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि बा-जबर्दस्ती कब्जा किये हुए हैं जबकि विवादित भूमि का राजस्व रसीद प्रार्थी के पिता के नाम से कटता है । इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण की ओर से खून-खराबा एवं शांति भंग करने की सम्भावना बनी हुई है ।

अत: उपरोक्त तर्कों के आलोक में प्रथम पक्ष का ~~कहना~~ कथन है कि द्वितीय पक्ष का 145 (5) दं0 प्र0 सं0 के आवेदन को खारिज करते हुए प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा घोषित कर विपक्षीगण को प्रश्नगत भूमि पर